

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक: एफ1()पीएस/आकाशि/19/2327

दिनांक:- 29.09.2019

आदेश

निम्नांकित सह/सहायक आचार्यों का स्थानांतरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय में प्राचार्य पद के विरुद्ध तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

| क्र.स. | नाम | पद | राजकीय महाविद्यालय से | राजकीय महाविद्यालय को |
|--------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 | श्री जी. एन. घसिया | सह आचार्य-अर्थशास्त्र | कन्या चौमूं | कन्या चौमूं |
| 2 | श्री नरेन्द्र सिंह भांभू (RVRES) | सहायक आचार्य-रसायन कृषि | नोहर | हनुमानगढ़ टाउन (कार्यव्यवस्थार्थ) |



(प्रदीप कुमार बोरड़) 29/9/19
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट
शासन सचिव, उच्च शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ1()पीएस/आकाशि/19/2327

दिनांक:- 29.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय राज्य मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राज. जयपुर की अ.शा. टीप क्रमांक वि.स./रा.म/उ.शि/2019/2062 दिनांक 29.09.19 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अधिकारियों को अविलम्ब कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाकर सूचना विभाग की ई-मेल आई.डी. Hrd.cce@gmail.com पर प्रेषित करावें।
5. संबंधित अधिकारी।
6. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. स्थापना शाखा/रक्षित पत्रावली।


(जैनाराम नागौरा)
संयुक्त निदेशक (एचआरडी)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।